संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16, 1938 ई0)

THE UNITED PROVINCES MELAS ACT, 1938

(U.P. Act No.XVI of 1938)

संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम 1938[1]

[संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16, 1938 ई०]

उ0 प्र0 अधिनिमय सं0 41, 1976

द्वारा संशोधित

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत

[राज्यपाल महोदय ने 24 फरवरी, 1939 को स्वीकृति प्रदान की और गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 75 के अन्तर्गत दिनांक 4 मार्च, 1939 को प्रकाशित[2] हुआ।]

कतिपय मेलों के नियंत्रण के लिए अधिनियम

प्रस्तावना

यह इष्टकर है कि स्थानीय बोर्डों के प्राधिकार के अधीन लगने वाले मेलों के अतिरिक्त अन्य मेलों के उचित विनियमन के लिए व्यवस्था की जाय ;

अतएव एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है ;

शीर्ष नाम तथा प्रसार

1–(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार[3] सम्पूर्ण [4][उत्तर प्रदेश] में होगा।

प्रारम्भ तथा अधिनियम की प्रवृत्ति

2–यह धारा तथा धारा 3 तुरन्त प्रचलित होगी। राज्यपाल [4][उत्तर प्रदेश] गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह आदेश दे सकते है कि सम्पूर्ण अधिनियम अथवा कोई भाग [4][उत्तर प्रदेश] में किसी ऐसे क्षेत्र में जहां मेले लगते हों, उस अवधि के लिए प्रवर्तित होंगे, जो ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय ;

[5][X X X]

3–यह अधिनियम, एतद्द्वारा इलाहाबाद के माघ मेले पर लागू किया जाता है ।

परिभाषाएं

4–(1) "मेला" का तात्पर्य किसी धार्मिक मेले अथवा जनता के धार्मिक समारोह से है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है ––

(क) स्थानीय बोर्ड के प्राधिकार के अधीन लगने वाला कोई मेला अथवा समारोह ;

या

(ख) किसी दरगाह या पुण्य स्थान के संबंध में लगने वाला कोई मुसलमानी धार्मिक समारोह।

---

1. उद्देश्यों तथा कारणों के लिये असाधारण गजट दिनांक 12 जनवरी, 1938, पृष्ठ 4 देखियें ।
2. गजट 1939, खंड 8–ए पृष्ठ 1–3 देखिये ।
3. यह अधिनियम तालिका के स्तम्भ 4 में उल्लिखित तिथि से तथा स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति (यदि कोई हो) के अन्तर्गत स्तम्भ–2 में उल्लिखित अधिनियमों अथवा आदेशों के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में प्रसारित किया गया है जिनका उल्लेख स्तम्भ 1 में किया गया है।

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश जिसके अन्तर्गत प्रसारित किये गये	विज्ञप्ति यदि कोई हो, जिसके अन्तर्गत प्रभावी किया गया	तिथि जिससे प्रभावी किया गया
1–जिला रामपुर	रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1950	...	30 दिसम्बर, 1949
2–जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949	संख्या 3262(1)/xvii-30	30 नवम्बर, 1949
3–जिला टेहरी गढ़वाल	टेहरी गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949	विज्ञप्ति संख्या 3262(2)/viii–मर्ज, दिनांक 30 नवम्बर, 1949	–तदैव–

4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर/1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 41, 1976 की धारा 63 द्वारा निकाला गया ।

(2) "जिला मजिस्ट्रेट" का तात्पर्य उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से है जहां मेला लगे ; या यदि किसी मेले का क्षेत्र एक से अधिक जिले में पड़ता हो तो उस जिला मजिस्ट्रेट से होगा जिसे [1][राज्य सरकार] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त करे।

[2][परन्तु इलाहाबाद और हरिद्वार में लगने वाले कुम्भ मेला और अर्ध कुम्भ मेला के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रत्येक ऐसे मेला के प्रभारी अधिकारी में निहित होंगे :

परन्तु यह भी कि ऐसा प्रभारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्रभारी अधिकारी के रूप में उक्त कोई अधिकार या कोई अन्य अधिकार, जो धारा 5 के अधीन अधिकार न हो, ऐसे कुम्भ मेला या अर्ध कुम्भ मेला के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपर प्रभारी अधिकारी या उप प्रभारी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।]

(3) "प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य उस मजिस्ट्रेट या अन्य किसी व्यक्ति से है जो [1][राज्य सरकार] द्वारा प्रभारी अधिकारी के कर्त्तव्यों को करने के लिये नियुक्त किया जाय ।

(4) "मेला क्षेत्र" का तात्पर्य किसी मेले के उस क्षेत्र से है जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाय ।

समिति नियुक्त करने का अधिकार

5–जिला मैजिस्ट्रेट प्रभारी अधिकारी को अपने कर्त्तव्य पालन में सहायता देने के लिये इन नियमों के अनुसार जो तदर्थ [1][राज्य सरकार] द्वारा बनाये जायें एक समिति नियुक्त करेगा ।

पथकर और शुल्क लगाने का अधिकार

6–जिला मैजिस्ट्रेट धारा 5 के अधीन नियुक्त की गयी समिति से परामर्श करने के पश्चात् नियम द्वारा मेला क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित का आरोपण कर सकता है ––

(1) ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने वाली किन्हीं गाड़ियों अथवा पशुओं पर या उक्त क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री के लिये लायी जाने वाली वस्तुओं पर पथ–कर, और

(2) ऐसे क्षेत्र के भीतर बेचे जाने वाले पशुओं को रजिस्ट्रीकरण पर शुल्क।

अनुज्ञप्ति का अधिकार

7–जिला मैजिस्ट्रेट नियम द्वारा ऐसा शुल्क तथा शर्ते विहित कर सकता है जिनका भुगतान करने पर तथा जिनके अधीन किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को मेला क्षेत्र में कोई व्यवसाय व्यापार या आजीविका चलाने की अनुज्ञप्ति दी जा सकती है ।

स्थानों का आवंटन

8–(1) प्रभारी अधिकारी किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हेतु या किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जो मेले से संबंधित धर्म के विरूद्ध न हो, स्थानों का आवंटन कर सकता है और उक्त स्थान के लिये ऐसा किराया निश्चित कर सकता है जो उसे उचित प्रतीत हो।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 41, 1976 की धारा 63 द्वारा बढ़ाया गया ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भारी अधिकारी निम्नलिखित को विशेष रूप से स्थान आवंटित कर सकता है ––

(1) मेले से संबंधित मत को मानने वाली धार्मिक संस्थायें,

(2) सामाजिक तथा अन्य संस्थायें और संगठन,

(3) कल्पवासी,

(4) कर्मचारी,

(5) बाजार स्थल,

(6) शौचालय, मूत्रालय और कूड़े के ढेर,

(7) नहाने के स्थान,

(8) विनोद और मनोरंजन और

(9) कृषि, औद्योगिक तथा अन्य प्रदर्शनियां और प्रदर्शन ।

नियम बनाने का अधिकार

9–(1) [1][राज्य सरकार] सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति के लिये तथा विशेष रूप से निम्नलिखित के लिये नियम बना सकती है ––

(1) मेला निधि की स्थापना,

(2) इस बात की व्यवस्था करना कि मेला निधि से क्या व्यय किया जायगा और किसी अतिरेक धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया जायगा, और

(3) मेला क्षेत्र में स्वच्छता ।

यह नियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे ।

(2) द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन बनाये गये नियम विधान मण्डल के समक्ष रखे जायेंगे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन बनये गये नियमों के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट सामान्यतया आग लगने या उसे फैलने से रोकने की व्यवस्था करने के लिये तथा विशेष रूप से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये नियम बना सकता है ––

(1) मेले में खड़े किये गये भवनों तथा ढांचों और मेले में लायी गयी वस्तुओं की सुरक्षा के लिये व्यवस्था करना ,

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित ।

(2) ऐसी शर्ते विहित करना जिनके अधीन झोपड़ियां तथा अन्य ढांचों का निर्माण किया जाय–– इसमें ऐसी झोपड़ियां या ढांचों की ऊचाई की सीमा तथा वह क्षेत्र जिन पर वे बनाये जायेंगे और उनके बीच की दूरी भी सम्मिलित है,

(3) प्रत्येक झोपड़ी या अन्य स्थानों में बालू तथा घड़ों में पानी की सम्पूर्ति (सप्लाई) की व्यवस्था करना, और

(4) खाना पकाने या अन्य किसी प्रयोजन के लिये आग के उपयोग के प्रतिबंधित करना ।

10–आग लगने की दशा में प्रभारी अधिकारी किसी भी ढांचे को गिराये जाने का आदेश दे सकता है यदि उसकी राय में आग को फैलने से रोकने के लिये उसका गिराया जाना आवश्यक या इष्टकर हो, तथा इस धारा के अधीन सद्भाव पूर्वक किये गये या कर्तुभिप्रेत किसी कार्य के विरूद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नही की जायेगी ।

शास्तियां

11–कोई ऐसा व्यक्ति जो ––

(क) कोई अनधिकृत निर्माण–कार्य करें, या

(ख) किसी अनधिकृत स्थान को शौचालय, मूत्रालय या कूड़ा ढेर करने के स्थान के रूप में उपयोग करे, या

(ग) धारा 7 के उपबन्धों के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के प्राप्त किये बगैर कोई व्यवसाय, व्यापार या आजीविका चलाये अथवा ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्तो को भंग करे, या

(घ) अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का या अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों का उल्लंघन करें, या

(ङ) इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक लिखित रूप में जारी किये गये किसी आदेश या निदेश का पालन न करें,

यह दोष सिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो [1][एक हजार रूपये] तक हो सकता है और अपराध लगातार या बार बार होने की दशा में उस पर और जुर्माना किया जा सकता है जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रतिदिन, जिसके दौरान में अपराधी ऐसा अपराध जारी रखता सिद्ध हुआ हो, [1][एक हजार रूपये] तक हो सकता है ।

अनधिकृत निर्माण कार्यों को हटाने का अधिकार

12–प्रभारी अधिकारी किन्हीं भी अनधिकृत निर्माण कार्य को हटवा सकता है और ऐसे निर्माण (कार्य) को हटाये जाने की लागत निर्माण (कार्य) करने वाले किसी भी व्यक्ति से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

नियमों का प्रकाशन और उनके सम्बन्ध में आपत्तियां

13– (1) जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा धारा 6, 7 और 9 के अधीन बनाये गये समस्त नियम [2][उत्तर प्रदेश] गजट में प्रकाशित किये जायेंगे ;

(2) ऐसे किसी नियम के संबंध में आपत्ति करने वाला कोई व्यक्ति उक्त प्रकाशन के तीस दिन के भीतर [3][राज्य सरकार] के पास अपील आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है और [2][राज्य सरकार] ऐसे नियम की पुष्टि कर सकती है, उसे परिष्कृत कर सकती है या उसे अपास्त कर सकती है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 41, 1976 की धारा 65 द्वारा रखे गये ।

2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित ।

3. उपर्युक्त द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित ।

किराये की वसूली

14–(क) यदि कोई व्यक्ति प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये समय के भीतर धारा 8 (1) के अधीन निश्चित किया गया किराया अथवा धारा 12 में उल्लिखित लागत या उसके किसी भाग का भुगतान नहीं करता है तो प्रभारी अधिकारी कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर से ऐसा प्रमाणपत्र जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा देय धनराशि निर्दिष्ट की जायगी, भेज सकता है और कलेक्टर ऐसे व्यक्ति को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देगा तथा की गयी ऐसी किसी आपत्ति की सुनवाई करने और उसका अवधारण करने के पश्चात् प्रमाण–पत्र में भरी गयी धनराशि या ऐसी धनराशि, यदि कोई हो, जिसे वह बकाया पाये, भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा। यदि कलेक्टर को यह पता चले कि ऐसे किसी व्यक्ति से कोई धनराशि बाकी नहीं है तो उक्त प्रमाण–पत्र प्रभारी अधिकारी को अपने निष्कर्ष सहित वापस कर देगा।

(ख) इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन किये जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी भी पट्टादार या अनुज्ञप्तिधारी को आबंटित किये गये स्थान में उसकी बेदखली का आदेश दे सकता है ।

अधिकारों का प्रत्यायोजन

15–[1][राज्य सरकार] गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके धारा 4 (3) या 13 (2) के अधीन प्रदत्त अधिकार को अपने अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित[2] कर सकती है ।

कतिपय प्रयोजनों के लिये मेला क्षेत्र में उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959 का लागू होना

[3][**16**–राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 296, 298, 299 और 300 द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति को, विज्ञप्ति द्वारा, मेला के प्रभारी अधिकारी को प्रदान कर सकती है, और ऐसी विज्ञप्ति जारी हो जाने पर इस धाराओं के उपबन्ध मेला क्षेत्र पर इस प्रकार लागू होंगे मानो मेला क्षेत्र "नगर" का एक भाग है और प्रभारी अधिकारी उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित "मुख्य नगराधिकारी" है और मानों धारा 8 के अधीन प्रभारी अधिकारी के किसी आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन उक्त अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन है।]

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित ।

2. प्रत्यायोजन के लिये गजट, 1940 भाग (1) पृष्ठ संख्या 33 में विज्ञप्ति संख्या 98 (2)/3–दिनांक 18 जनवरी, 1940 तथा उसी गजट में पृष्ठ 725 पर विज्ञप्ति संख्या 98 (2)/3–38, दिनांक 23 अक्टूबर, 1940 देखिये ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 41, 1976 की धारा 66 द्वारा बढ़ायी गयी ।